झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

–सूचना–

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि Jharkhand State Open Board तथा Jharkhand State Academic Board को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। उक्त दोनों संस्थाओं की वैधानिक मान्यता नहीं होने के बावजूद फर्जी तरीके से छात्र/छात्राओं की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित कर परीक्षाफल प्रकाशन कर डिग्री प्रदान की जा रही है।

एस0एल0पी0 संख्या–8148/2020 साहिर सोहेल एवं अन्य बनाम डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2020 को पारित न्यायादेश में उपर्युक्त दोनों फर्जी संस्थानों का बेवसाईट बंद करने एवं संस्थान संचालकों के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई करने का आदेश पारित है।

विदित हो कि झारखण्ड राज्यान्तर्गत विद्यालय स्तरीय सभी प्रकार की परीक्षाओं (मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों) के आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 के तहत् मात्र एक परीक्षा आयोजक संस्थान झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची संचालित है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से इन परीक्षाओं के संचालन करने हेतु अन्य परीक्षा बोर्ड अथवा किसी परिषद् को राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी Jharkhand State Open Board तथा Jharkhand State Academic Board द्वारा फर्जी तरीके से छात्र/छात्राओं को मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में नियोजन के क्रम में इनके प्रमाण पत्र की वैधता की स्थिति स्पष्ट करने हेतु विभाग को पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उक्त दोनों संस्थानों के विरूद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

अतः अपील की जाती है कि Jharkhand State Open Board तथा Jharkhand State Academic Board फर्जी संस्थान हैं एवं इनके द्वारा प्रदत्त डिग्री किसी भी नियोजन के लिए वांछनीय नहीं है।

12/8/2022

(सुनील कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखण्ड, राँची।